डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री शैलेन्द्र सक्सेना, एम0आई0जी0, ए0–3, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।
2. मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री आलोक कुमार सिंह, बी1/289, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
8. सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
9. प्रो0 असीम मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज–211 002
10. प्रो0 एन0 के0 तनेजा, पूर्व कुलपति, 606/3, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ– 250 007
11. डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी–टीचर्स कालोनी, धामपुर, बिजनौर।
12. प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
13. डॉ0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. डॉ0 शेफाली यादव, आचार्य, विधि, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 3027/फा0सं0–36(सप्तम्)/डा.श.मि.रा.पु.वि./कार्य0परि0/2022–23 दिनाँकः 07 फरवरी, 2023

विषयः– **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांकः 20 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनाँक 20 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक
दिनाँकः 20 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

समय– मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान– पंचम तल स्थित सभागार,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/42	**मा0 कार्य परिषद की 41वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 41वीं बैठक दिनाँक 07 नवम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/42	**मा0 कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 41वीं बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवलोकित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/42	**मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवलोकित होते हुए बिन्दु संख्या–22/40 के अन्तिम प्रस्तर में श्री आलोक मिश्रा का विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी पद पर किया गया चयन समाप्त किये जाने सम्बन्धी चयन समाप्त का संशोधित आशय चयन निरस्त किये जाने का पढ़े जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/42	**मा0 विद्या परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की सम्पन्न 27वीं बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/42	**विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 28वीं बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2022 में लिए गये लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध नें।**
	निर्णयः– विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 28वीं बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2022 में लिए गये निर्णय के निर्गत कार्यवृत्त को अवलोकित करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/42	**विश्विवद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के प्रकाशित विज्ञापन संख्या 42, 43, 44, 45 एवं 46 को निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के प्रकाशित विज्ञापन संख्या 42, 43, 44, 45 एवं 46 से अवगत होते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा योजित पी.आई.एल. संख्या 185 ऑफ 2022 के सम्बन्ध में पारित आदेश/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18.04.2022 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु शैक्षिक संवर्ग के सृजित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पदों का पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों प्रोफेसर, हिन्दी के 01 पद पर जिस पर नियुक्ति की जा चुकी है, को छोड़ते हुए शेष पदो के लिए प्रकाशित समस्त विज्ञापन संख्या–42, 43, 44, 45 एवं 46 को निरस्त करते हुए

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	पुर्नविज्ञापन कराये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके साथ–साथ उक्त शैक्षिक संवर्ग के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष किये गये आवेदकों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखे जाने पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/42	**विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम की कार्यकारी शासकीय निकाय की प्रथम बैठक में लिए निर्णयों पर विचार।** निर्णयः–मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम की कार्यकारी शासकीय निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 01.09.2022 में लिये गये निर्णय का अवलोकित होते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त यह भी मा0 परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में खेल नियमावली बनाये जाने हेतु गठित समिति में यदि कोई विधि सम्बन्धी विषय हो तो तत्सम्बन्धी विषय पर मन्तव्य प्राप्त करने हेतु विधि संकाय से विशेष आंमत्री सदस्य के रूप एक सदस्य को आंमत्रित करते हुए सुझाव प्राप्त किया जा सकता है।
8/42	**विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः–विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को 09 प्रधान सहायक के पद पर हुई पदोन्नति से मा0 कार्य परिषद संज्ञानित हुए।
9/42	**विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु विभिन्न विभागों में अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं लिए जाने के लिए आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त सूचीबद्ध किये गये अतिथि व्याख्याताओं के सम्बन्ध में।** निर्णयः– शैक्षिक सत्र 2022–23 में 09 संकायों के अन्तर्गत संचालित कला एवं संगीत, विशेष शिक्षा, कम्प्यूटर एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विधि, वाणिज्य संकायों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु कुल 55 अतिथि व्याख्याताओं को दिनांक–31 मई, 2023 तक सूचीबद्ध किये पर मा0 कार्य परिषद द्वारा संज्ञानित हुए।
10/42	**विश्वविद्यालय में संचालित गेस्ट हाउस में ठहरने हेतु पुनरीक्षित आफीशियल एवं नान–आफीशियल रूम रेण्ट को गठित समिति द्वारा पुनरीक्षित रूम रेन्ट पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय के टाइप–5 एवं पुरूष छात्रावास में संचालित गेस्ट हाउस के संचालनार्थ गठित समिति द्वारा वर्तमान में महंगाई एवं अन्य व्यवस्थाओं में व्यय अधिक होने के कारण पूर्व निर्धारित दरों में की गई पुनरीक्षित आफीशियल एवं नॉन–आफीशियल रूम रेण्ट की दरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन निम्नानुसार प्रदान किया गया –

क्र0सं0	प्रति कक्ष (AC)	व्यक्ति	आफीशियल (रू0)	नॉन आफीशियल (रू0)
1	प्रति कक्ष (AC)	01 व्यक्ति	400/– प्रति व्यक्ति	1000/– प्रति व्यक्ति
2	प्रति कक्ष (AC)	02 व्यक्ति	350/– प्रति व्यक्ति	750/– प्रति व्यक्ति

11/42	**विश्वविद्यालय में परीक्षा नियत्रंक का पद नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।** विश्वविद्यालय में परीक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 258/65–3–2019–04(वि0वि0)/2011टी0सी0–2 दिनांक–08 जुलाई, 2019 के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक का 01 पद पुनरीक्षित पे लेवल–11 वेतनमान रू0 67700–191000 (ग्रेड वेतन रू0–6600) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सृजित किया गया है। तदोपरान्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या डी0एस0–160/65–3–2019–04(वि0वि0)/2011टी0सी0–2 दिनांक–05अगस्त, 2019 द्वारा परीक्षा नियंत्रक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु सरकारी सेवकों को निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उक्त अवधि 05 वर्ष बनाये रखी जा सकती है, किन्तु 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति की अवधि को नहीं बढ़ाया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों में समान

(सोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राधा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	वेतनमान के पदधारक को ही प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के सृजित 01 पद को समान वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए अगस्त, 2019 में भर्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें चयनित डॉ0 अमित कुमार राय द्वारा परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रथम चरण में 03 वर्ष के लिए सेवाएं दिये जाने हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया तथा 03 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप 01 वर्ष की अतिरिक्त सेवा दिये जाने हेतु उनके प्रशासनिक विभाग को अनुरोध किया गया, जिस पर शासनादेश संख्या–241491/65–3/2022, दिनांक 29.11.2022 द्वारा डॉ0 अमित कुमार राय की परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 12.09.2022 से 01 वर्ष (चतुर्थ वर्ष) दिनांक 11.09.2023 तक बढ़ाये जाने पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गई कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था समयान्तर्गत कर ली जायेगी। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4500 है, जिसमें 1000 से अधिक दिव्यांग छात्र–छात्राएं हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकलापों, सम्बद्ध संस्थान/ महाविद्यालयों एवं अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं की संख्या में प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है एवं विद्यार्थियों की परीक्षाओं का संचालन किया जाना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस विश्वविद्यालय में 01 पद परीक्षा नियंत्रक का प्रतिनियुक्ति पर सृजित किया गया है, प्रतिनियुक्ति पर सृजित होने के कारण परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता के दृष्टिगत बार–बार विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशित करने एवं भर्ती की कार्यवाही किया जाना एक लम्बी प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक का 01 पद पर यदि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से सीधे नियुक्त किया जाये तो इन प्रक्रिया से समय, वित्तीय हानि एवं श्रम की बचत होने के साथ–साथ परीक्षा जैसे संवेदनशील अनुभाग में कार्य प्रभावित नही हो सकेगा। अतः विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का पद नियमित किये जाने एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव धारित करने वाले दिव्यांगजन सशक्तीकरण सेवा संवर्ग पुनरीक्षित पे लेवल–11 वेतनमान रू0 67700–191000 (ग्रेड वेतन रू0–6600) से भरे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचार किया गया। **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद ने परीक्षा नियत्रंक के पद को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली में पुनरीक्षित पे लेवल–11 वेतनमान रू0 67700–191000 (ग्रेड वेतन रू0–6600) के अनुसार अर्हता धारित करने वाले अधिकारी को पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में परीक्षा नियंत्रक के पद को धारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया।
12/42	**विश्वविद्यालय में अनुबन्धित अधिवक्ता के मानदेय, रिटेनरशिप एवं अन्य शुल्क के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से संज्ञानित होते हुए विश्वविद्यालय में अनुबन्धित अधिवक्ता को विश्वविद्यालय में विधिक परामर्श प्राप्त करने पर अलग से भुगतान हेतु सुसंगत प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किया गया।
13/42	**विश्वविद्यालय में प्रशासकीय कार्य के सम्पादन हेतु 02 वाहन क्रय किये जाने पर विचार।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोगार्थ 02 नवीन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व में क्रय किये गये वाहन की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सम्पूर्णता के साथ प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किया गया।
14/42	**विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन (अनापत्ति) तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत जाने से पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत (Consent of Affiliation) अनापत्ति

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राधा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत किये जाने के पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति के सम्बन्ध में मा0 परिषद के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में विहित व्यवस्थान्तर्गत संबंधित नवीन संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्तर (Consent of Affiliation) अनापत्ति निर्गत किये जाने से पूर्व शासन से सहमति प्राप्त की जायेगी। एक बार अनापत्ति से पूर्व शासन से सहमति प्राप्त कर लेने के उपरान्त सम्बद्धता निर्गत किये जाने की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से ही किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–11/2016/डी0एस0–40/65 –3–2016–04(वि0वि0)/2016, दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन (अनापत्ति) तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत जाने से पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति सम्बन्धी प्रावधान में तद्नुसार संशोधन हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
15/42	**विश्वविद्यालय में खेलो इण्डिया के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स–2022 के आयोजन के सम्बन्ध में।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलो के आयोजन विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम में **खेलो इण्डिया** के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स–2022 का आयोजन अप्रैल, 2023 के अन्तिम सप्ताह में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले खेलों में प्रतिभाग करने वाले देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों को आवासित करने हेतु **खेलो इण्डिया** के मानक के अनुरूप खेल मैदान एवं छात्रावास के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त निधि से आय–व्यय होने पर मा0 परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
16/42	**विश्वविद्यालय के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पेंशन/उपादान/भविष्य निधि/जीवन बीमा लाभ की अनुमन्यता पर विचार।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के सेवानिवृत्त होने पर/सेवाकाल में निधन हो जाने पर उन्हे अनुमन्य होने वाले पेंशन/उपादान/भविष्य निधि/जीवन बीमा लाभ सम्बन्धी देयकों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मा0 कार्य परिषद उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि उ0 प्र0 सरकार के कार्मिकों पर लागू तत्सम्बन्धी नियम/परिनियम अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के कार्मिकों पर लागू तत्सम्बन्धी नियम/परिनियम की जो व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, उनका अध्ययन कर एक स्पष्ट दिशा–निर्देश/नियमावली बनाये जाने हेतु समिति गठित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।
17/42	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में पी.एच.डी. प्रवेश कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं पर संस्थित जांच के सम्बन्ध में निर्गत आरोप–पत्र पर नामित जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच आख्या पर विचार।** विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2014 से 2017 तक पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों के सम्बन्ध में संस्थित जांच की जांच आख्या पर मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में लिए गये निर्णय में तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021में बिन्दु संख्या–4/35 ***मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2014 से 2017 में पी0एच–डी0 कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रकरण पर प्रदत्त निर्णय में उपरिलिखित बिन्दु (क) के क्रम में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के प्रवेश प्रकरण पर हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सामान्य परिषद की 7वीं बैठक के निर्णय के क्रम में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति गठित करते हुए दो माह में सम्पूर्ण कार्यवाही/आख्या निर्णय हेतु आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा समिति का गठन किए जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।*** उक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक–1399/फा0सं0–1370/पी.एच.डी.जां./डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा जांच/परीक्षण हेतु गठित एक सदस्यीय जांच समिति में सदस्य के रूप में श्री शक्ति कान्त (सेवानिवृत्त) जनपद न्यायाधीश नामित किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	शैक्षणिक सत्र 2014–15 में पी0–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रकरण पर पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में प्रवेश समन्वयक के रूप में श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा दायित्वों का निवर्हन किया गया है। श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014–15 के पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के प्रवेश समन्वयक के रूप में किये गये कार्यो के विरूद्ध प्रवेश में की गयी अनियमितताओं में उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने हेतु संस्थित जांच में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 374/फा0सं0–069/डी.एस. एम.एन.आर.यू./2022–23 दिनांकः 21 मई, 2022 द्वारा आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिसकी नामित जांच अधिकारी द्वारा युक्ति–युक्त जांच कर जांच आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। **निर्णयः**–उक्त जांच आख्या सम्पूर्णता में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई, परन्तु प्रकरण की गम्भीरता एवं संवदेनशीलता के दृष्टिगत जांच आख्या के परिशीलन हेतु विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद के 03 सदस्यों को अधिकृत किये जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नामित सदस्यों द्वारा परिशीलन सम्बन्धी संस्तुति 01 माह में पूर्ण की जाये, तथा संस्तुति सहित सम्पूर्ण प्रकरण मा0 कार्य परिषद की आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जाये।
18/42	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि में पी.एच.डी. प्रवेश कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं पर संस्थित जांच के सम्बन्ध में निर्गत आरोप–पत्र पर नामित जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच आख्या पर विचार।** विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2014 से 2017 तक पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों के सम्बन्ध में संस्थित जांच की जांच आख्या पर मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में लिए गये निर्णय में तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021में बिन्दु संख्या–4/35 ***मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2014 से 2017 में पी0एच–डी0 कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रकरण पर प्रदत्त निर्णय में उपरिलिखित बिन्दु (क) के क्रम में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के प्रवेश प्रकरण पर हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सामान्य परिषद की 7वीं बैठक के निर्णय के क्रम में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति गठित करते हुए दो माह में सम्पूर्ण कार्यवाही/आख्या निर्णय हेतु आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा समिति का गठन किए जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।*** उक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक–1399/फा0सं0–1370/पी.एच.डी.जां./डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा जांच/परीक्षण हेतु गठित एक सदस्यीय जांच समिति में सदस्य के रूप में श्री शक्ति कान्त (सेवानिवृत्त) जनपद न्यायाधीश नामित किया गया। पी0–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रकरण पर शैक्षणिक सत्र 2015–16, प्रवेश समन्वयक/निदेशक, शैक्षणिक सत्र, 2016–17 एवं 2017–18 पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में प्रवेश समन्वयक के रूप में डॉ0 रजनी रंजन सिंह, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा दायित्वों का निवर्हन किया गया है। डॉ0 रजनी रंजन सिंह, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रवेश समन्वयक शैक्षणिक सत्र 2015–16, प्रवेश समन्वयक/निदेशक, शैक्षणिक सत्र, 2016–17 एवं 2017–18 पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के विरूद्ध प्रवेश में की गयी अनियमितताओं में उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने हेतु संस्थित जांच में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 375/फा0सं0–834/डी.एस. एम.एन.आर.यू./2022–23 दिनांकः 21 मई, 2022 द्वारा आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिसकी नामित जांच अधिकारी द्वारा युक्ति–युक्त जांच कर जांच आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। **निर्णयः**–उक्त जांच आख्या सम्पूर्णता में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई, परन्तु प्रकरण की गम्भीरता एवं संवदेनशीलता के दृष्टिगत जांच आख्या के परिशीलन हेतु विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद के 03 सदस्यों को अधिकृत किये जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नामित सदस्यों द्वारा परिशीलन सम्बन्धी संस्तुति 01 माह में पूर्ण की जाये, तथा संस्तुति सहित सम्पूर्ण प्रकरण मा0 कार्य परिषद की आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जाये।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

19/42	**विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 26वीं बैठक दिनांकः 03 अगस्त, 2022, 27वीं बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 एवं 28वीं बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 26वीं बैठक दिनांकः 03 अगस्त, 2022, 27वीं बैठक दिनांकः 17 अगस्त, 2022 एवं 28वीं बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
20/42	**मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में वाद संख्या Writ-A 7695 ऑफ 2016 की अद्यतन स्थिति।**
	निर्णयः— मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद संख्या Writ-A 7695 of 2016 अद्यतन स्थिति से मा0 कार्य परिषद संज्ञानित हुई तथा मा0 न्यायालय ने दिनांक 18.01.2023 की सुनवाई में पारित आदेश से संज्ञानित कराया गया।
21/42	**विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में जांच हेतु नामित जांच अधिकारी के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रो0 पी0 राजीव नयन, आचार्य, ललित कला द्वारा की गई धनराशि रू0 99.00 लाख की विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन में उद्घाटित तथ्यों एवं निर्णयों पर नामित जॉच अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लगभग 10 माह उपरान्त जांच आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसके सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा विलम्ब से उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के सम्बन्ध में किस स्तर से विलम्ब हुआ है, उसका परीक्षण कराते हुए नियमतः मानदेय भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
22/42	**विश्वविद्यालय में परीक्षा भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में लगभग 4500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिसमें से 1000 से अधिक दिव्यांग छात्र—छात्राएं हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकलापों, सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालयों एवं अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं की संख्या में प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के साथ—साथ विद्यार्थियों की परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षा का आयोजन कराये जाने में कठिनाई होने एवं गोपनीयता के दृष्टिकोण से परीक्षा भवन को पृथक से निर्मित किये जाने पर मा0 परिषद द्वारा विचार—विमर्श करते हुए पूर्ण प्रस्ताव पर यथावांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किए गये।
23/42	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**
(1)	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में 02 अगस्त, 2022 को प्रवेश निरस्त एवं फीस वापसी के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं, उसे विश्वविद्यालय को आच्छादित किये जाने पर विचार।**
	निर्णय :विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में 02 अगस्त, 2022 द्वारा प्रवेश निरस्त एवं फीस वापसी के सन्दर्भ में वित्तीय दुरूहता को शिथिल करते हुए शैक्षिक सत्र 2022—23 को विशेष केस मानते हुए सम्पूर्ण शुल्क में धनराशि 1000/— की कटौती करते हुए फीस वापसी के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश प्रतिपादित किये गये हैं, जिसे इस विश्वविद्यालय को वर्तमान शैक्षिक सत्र में आच्छादित किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन विद्यार्थियों को इस विनियम से आच्छादित करते हुए शुल्क वापस किया गया है उसे मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
23/42 (2)	**विश्वविद्यालय में 02 प्रोग्रामर की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में वर्तमान में एकेडमिक ब्लाक—ए—1, ए—2, एलाइड भवन, एमिनिटिस ब्लाक में पठन—पाठन का कार्य एवं प्रशासनिक भवन में समस्त प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से संचालित करने, कार्यालय कार्य के सुगम संचालनार्थ एवं विश्वविद्यालय में तकनीकी व्यवस्था/इण्टरनेट के संचालन को सुगमता के संचालित कराने के लिए जब तक नियमित पद पर भर्ती नहीं हो जाती तब तक नियत मानदेय धनराशि 45000/— प्रतिमाह के आधार न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत 02 प्रोग्रामर की नियुक्त संविदा/अनुबन्ध के आधार पर किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

23/42 (3)	**प्रो0 पी0 राजीव नयन, ललित कला विभाग पर संस्थित जांच की जांच आख्या पर विचार।**
	विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 02.09.2021 के अन्य बिन्दु संख्या–22/34 के उप बिन्दु (5) एवं मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांकः 07.10.2021 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रू0 99.00 लाख की धनराशि से डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कराये गये कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में हुई अनियमितताओं की विशेष सम्परीक्षा कराने के उपरान्त उद्घाटित अनियमितताओं एवं जांच आख्या पर प्रो0 पी0 राजीवनयन, आचार्य ललित कला से कोई अभ्यावेदन या उत्तर नहीं प्राप्त किया गया है तथा इसी प्रकार जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच में तकनीकी त्रुटियां प्रकाश में आयीं जिसमें पूर्व जांच समिति की आख्या को निरस्त करते हुए समग्रता में एक नवीन आरोप–पत्र सृजित करते हुए नवीन जांच समिति बनाये जाने पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रो0 पी0 राजीव नयन, आचार्य, ललित कला के विरूद्ध जांच संस्थित करते हुए संस्थित जांच के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्रांक 369/फा0सं0–832/ व्य0पत्रा0/2022–23, दिनांक 21 मई, 2022 द्वारा समस्त संलग्नकों सहित निर्गत आरोप–पत्र पर नामित जांच अधिकारी द्वारा युक्ति–युक्त जांच कर जांच आख्या मा0 कार्य परिषद समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई। **निर्णयः**–उक्त जांच आख्या सम्पूर्णता में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई, परन्तु प्रकरण की गम्भीरता एवं संवदेनशीलता के दृष्टिगत जांच आख्या के परिशीलन हेतु विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद के 03 सदस्यों को अधिकृत किये जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नामित सदस्यों द्वारा परिशीलन सम्बन्धी संस्तुति 01 माह में पूर्ण की जाये, तथा संस्तुति सहित सम्पूर्ण प्रकरण मा0 कार्य परिषद की आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जाये।
23/42 (4)	**प्रो0 प्रमोद कुमार सिंह, आचार्य, हिन्दी को सेवानिवृत्त के उपरान्त सत्रलाभ प्रदान किये जाने सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत् प्रो0 प्रमोद कुमार सिंह की 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु दिनांक 18.01.2023 को पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31 जनवरी, 2023 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे है। वर्तमान समय में शैक्षिक सत्र 2022–23 में शैक्षणिक गतिविधियों के दृष्टिगत् प्रो0 प्रमोद कुमार सिंह को दिनांक 30 जून, 2023 तक नियमतः सत्रान्त लाभ प्रदान किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ